न्यायालय संभागीय आयुक्त, सीकर संभाग, सीकर

पीठासीन अधिकारी डॉ0 मोहन लाल यादव (आई,ए,एस)

अपील संख्या 335/2023 (33/2021)

बरजी देवी पत्नि नन्दा राम जाट निवासी रूलाणा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

—:अपीलान्टः—

बनाम

1. छोटू राम पुत्र छीतरमल
2. कमला देवी पुत्री हनुमान
3. रामपाल पुत्र रूडा राम
4. मदल लाल पुत्र नारायण
   समस्त जाति जाट
5. कंचन कंवर पुत्री लादू सिंह राजपूत
6. ओमप्रकाश पुत्र जगूराम जाट
7. जगदीश पुत्र जीवण राम जाट
8. कवरी पुत्र रामेश्वर लाल जाट
9. सूरजा पुत्र मागू जाट
10. भंवर लाल पुत्र नन्दा राम जाट
11. नारायण पुत्र मोती जाट
    समस्त निवासीगण रूलाणा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर
12. तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर
13. राधेश्याम पुत्र जग्गूराम जाट निवासी रूलाणा तहसील दांतारामगढ़

—:रेस्पोडेन्ट्सः—

उपस्थितिः—

1. वकील श्री अम्मीलाल झांग अपीलांट की ओर से।

संभागीय आयुक्त
सीकर

निर्णय

दिनांकः—

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर के आदेश दिनांक 18.06.2021 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत कि गई। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है ग्राम रूलाणा प0 ह0 बनाथला तहसील दांतारामगढ के खसरा नं0 590, 594, 706, 712, 716, 719, 727, 769, 736, 742, 755, 762/1295, 762, 749, 766/1296, 766, 776, व 744 के सम्बन्ध में बिना अपीलार्थी को सुने बिना व बिना अपना पक्ष रखने का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। खसरा नं0 766, 766/1296 का अपीलार्थी खातेदार काश्तकार है तथा उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। खसरा नं0 766, 766/1296 में कोई प्रचलित रास्ता मोजूद नही है। इसके बावजूद भी फर्द मौका दिनांक 16.06.2021 को बनाया गया। जिसपर अपीलार्थी के कही भी हस्ताक्षर नही है। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सुनवाई का कतई अवसर नही दिया इस कारण अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलार्थी प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.06.2021 निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलार्थी कि बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र बाबत खसरा नं0 766, 766/1296 में पूर्व से पश्चिम दिशा का रास्ता खारिज करने का निवेदन किया।

बहस अपीलार्थी पर मनन किया। पत्रावली, राजस्व रिकार्ड व अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी दांतरामगढ के द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.06.2021 में खसरा 766, 766/1296 में पूर्व से पश्चिम दिशा में किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने को निरस्त कराना चाहा है। जमाबंदी संवत 2076–2079 खाता संख्या 195 में खसरा नं0 766, 766/1296 में अपीलार्थी बतौर खातेदार अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को कोई नोटिस नही दिया गया जिससे अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का अवसर प्राप्त नही हुआ। फर्द मौका रिपोर्ट पर भी अपीलार्थी के हस्ताक्षर नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व हितबद्ध पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्रदान नही करना न्यायहित में नही है। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़

संभागीय आयुक्त
सीकर

द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश पूर्णतया विधिसम्मत व न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.06.2021 में खसरा नं0 766, 766/1296 में पूर्व से पश्चिम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने व नक्शे में तरमीम करने के आदेश को अपास्त किया जाता है।

(डॉ0 मोहन लाल यादव)
संभागीय आयुक्त,
सीकर

निर्णय आज दिनांक 23/01/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
सीकर

संभागीय आयुक्त सीकर (राज.)